THE RURAL (ELECTRIFICATION) BILL, 1993

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदया, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों को उनके कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिए निर्बाध विद्युत पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक ग्रामीण विद्युतीकरण प्राधिकरण की स्थापना और ग्रामीण भारत में प्रत्येक घर और झोंपड़ी में कम से कम "एक बत्ती" का कनेक्शन उपलब्ध कराने की तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सुरेश पचौरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

THE NATIONAL DRINKING WATER SCHEME BILL, 1993

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh) : Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the formulation of National Scheme by the Central Government to make available drinking water in every urban area and village throughout the country with special attention towards desert and drought-prone area and for matter connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI : Madam, I introduce the Bill.

THE MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 1993

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh) : Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Motor vehicles Act, 1988.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI : Madam, I introduce the Bill.

THE WOMEN AND GIRLS (PROPERTY RIGHTS) BILL, 1993

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि महिलाओं तथा बालिकाओं के सम्पत्ति अधिकारों का संरक्षण करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

The question was put and the motion was adopted.

श्रीमती वीणा वर्मा : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, we will take up further consideration of the Banning of Communal Political Parties Bill,

---

THE BANNING OF COMMUNAL POLITICAL PARTIES BILL, 1993—Contd.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Madam, I would like to say one word.

THE DEPUTY CHAIRMAN : On this Bill ?

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, we have been discussing this Bil for quite sometime now. Seventeen-eighteen speakers have participated in the discussion so far. Not only that, Madam. After the Bill was moved by my friend, Shri Ahluwalia, the Government themselves have brought forward two Bills on this subject. They have now been referred to a Joint Parliamentary Committee. My submission is that—this is my request to the hon. Minister Mr. Ahluwalia, who had moved this Bill, may be included as a member in the Joint Parliamentary Committee so that he will be able to contribute to the deliberations in the Committee also *(Interruptions)* The Committee has just been constituted. They are going to sit. Therefore, I would request the hon. Minister to see that ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : You want all the eighteen Members who participated in the discussion to be included in the Joint Parliamentary Committee ?

SHRI V. NARAYANASAMY : Only the mover of the Bill, Madam. This may be considered by the hon. Minister.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh) : Mr. Narayanasamy may also

be included because he participated in the discussion on the Bill on two days.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh): Madam, please allow me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: On this?

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I am raising on a point of order I want your direction on that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is it? But let me first deal with the suggestion of Mr. Narayanasamy. I think this suggestion is well noted.

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Minister my consider that. *(Interruptions)* I think the House would agree. Mr. Ahluwalia has taken great pains in bringing forward this Bill. The discussion on this Bill is almost over. I feel that he would be able to contribute to the deliberations in the J. P. C. also.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): Madam, it is a good suggestion. As you know, we have representatives from every party. If the House so feels that he should be nominated to the Committee, he can be taken as a special invitee.

SHRI V. NARAYANASAMY: He should be taken as a member.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh): Madam, Mr. Narayanasamy is entitled to his opinion. I am aslo entitled to my opinion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to give your opinion on the same thing?

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I am raising on a point of order. However, since Mr. Narayanasamy in his usual, dynamic, style, started asking 'why not, why not?', if you permit me, I will satisfy him first. If you do not permit me, I will not satisfy him, but go on to raise my point of order.

SHRI V. NARAYANASAMY: You satisfy the Chair, not me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is very difficult to satisfy Mr. Narayanasamy; not possible in this House.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Then, I would take your advice and ignore satisfying my friend.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, you go on with your point of order.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: My point is this. Mr. Ahluwalia moved this Bill on 12th March, 1993. It was quite sometime back. Between 12th March, 1993, and now, many things have happened. In the meantime, the Government itself has brought forward these two Bills; the Constitution (Amendment) Bill and another Bill to amend the Representation of the People Act. These are similar in nature to what we are discussing now. These two Bills have now been referred to a Joint Parliamentary Committee. We will be discussing again what we are discussing today after the Joint Parliamentary Committee, consisting of Members of both Houses of Parliament, deliberates on the Bills and comes before the House with its report. Since the Government has taken the initiative and brought forward a similar Bill, the discussions that we are holding today are going to be quite infructuous. Therefore, Madam, I seek your direction. There is some more important business listed here. I suggest that shri Ahluwalia may take the advice of the House and withdraw the Bill. Otherwise, you may from the Chair say that the discussions are quite infructuous and that we move on to take up the next Bill which is also of Mr. Ahluwalia.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a Private Member's Bill and it is going on since March. Shri Ahluwalia can say that enough discussion has taken place. And in the light of the Bill which the Government has introduced there is a Joint Committee of both the Houses which is going into the same if he wants to discuss this Bill or go to the other Bill, it is entirely up to him.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Madam, there is one thing. He may be allowed to withdraw the Bill. But suppose...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think this is the only forum where Members have a right to bring forward their Bills. This is the only forum where they rise above party considerations and speak openly on certain matters. This is the only forum where Members can bring certain Bills which are other than Government Bills. It is entirely up to the Members. I do not want to make a precedent so that on some other Bills some Vice-Chairman might come and say, no.

श्री शमीम हाशमी (बिहार) : मेडम, इन दोनों बिलों की आत्मा में फर्क है । वहां जो बिल आया है वह मजहब को सियासत से अलग करने का है और यह बिल जो है वह कम्युनल पार्टियों पर बैन लगाने और कम्युनलिज्म ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये । मैं एक शेर आपको नजर करने वाला था कि :

तेरी सादगी पर कौन न मर जाये खुदा,
करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं ।

شری شمیم ہاشمی "بہار" میڈم۔ ان دونوں بلوں کی آتما میں فرق ہے۔ وہاں جو بل آیا ہے وہ مذہب کو سیاست سے الگ کرنے کا ہے اور یہ بل جو ہے وہ کمیونل پارٹیوں پر بین لگانے پر اور کمیونلزم ... "مداخلت"... آپ بیٹھ جائیے۔ میں ایک شعر آپکی نذر کرنے والا تھا۔

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا
کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

डा० जितेन्द्र कुमार जैन : शेर तो आप हर बार कहते हैं ।

श्री शमीम हाशमी : बशर्ते कि आपके दिल पर असर करे ।

दामन पे कोई चीर न खंजर पे कोई दाग,
तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो ।

यह तुम्हारे लिये एक शेर हमारे पास है

شری شمیم ہاشمی : بشرطیکہ آپ کے دل پر اثر کرے۔

دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ
تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو

یہ تمہارے لئے ایک شعر ہمارے پاس ہے۔

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं दाद देता हूं जो उन्होंने हसीनाओं के लिये कहा हुआ शेर मुझ पर लागू कर दिया ।

श्री शमीम हाशमी : रिलीजियस कम्युनलिज्म हो सकता है, लिंग्विस्टिक कम्युनिलिज्म हो सकता है, रीजीनल कम्युनलिज्म हो सकता है, फासिस्ट कम्युनलिज्म हो सकता है । इसलिये इस बिल की आत्मा अलग है, इस बिल के बनिस्बत । यह डाक्टर साहब चीर-फाड़ वाले आदमी है । इसलिये उनके ख्यालात के अंदर जो हल्का सा फर्क है उससे उनको इसकी जानकारी नहीं है । इसलिये इस बिल को यहां चलना चाहिये ।

شری شمیم ہاشمی، ریلیجیس کمیونلزم ہو سکتا ہے۔ لنگوسٹک کمیونلزم ہو سکتا ہے۔ ریجنس کمیونلزم ہو سکتا ہے۔ فاشسٹ کمیونلزم ہو سکتا ہے۔ اس لئے اس بل کی آتما الگ ہے اس بل کی نسبت یہ ڈاکٹر صاحب چیر پھاڑ والے آدمی ہیں۔ اس لئے ان کے خیالات کے اندر جو ہلکا سا فرق ہے اس سے ان کو اس کی جانکاری نہیں ہے۔ اس لئے اس بل کو یہیں چلنا چاہیئے۔

उपसभापति : यह मिस्टर अहलुवालिया जी पर डिपेंट करता है कि वे क्या कहते हैं । यह उनका बिल है । वह जो कहेंगे वही होगा ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, जैसा आपने फरमाया यह प्राइवेट मेंबर बिल है । जब कोई भी उस सदन का मेंबर ऐसा विधेयक पेश करता है तो पूरी तरह इस सदन के सदस्यों पर निर्भर होता है । क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई विधेयक ऐसे आते हैं जिन पर, जो उसे पुरःस्थापित करता है, वह बोलता है और दो-एक मेंबर और बोलते हैं और उसके बाद उस पर चर्चा नहीं होती । लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जो आज के समाज में एक जलता हुआ अंगारा है जो

†[ ] Transliteration in Arabic script.

†[ ] Transliteration in Arabic script.

समाज को घुलिसात कर रहा है । इस पर 12 मार्च से चर्चा चल रही है, अभी तक चल रही है । मेरे कुछ अच्छे दोस्त इस पर अभी बोलना चाहते हैं, अपने विचार प्रकट करना चाहते है ...(व्यवधान)...इसलिये जब तक लोग अपनी बात नहीं खत्म करते हैं उससे पहले मैं अगर वापस लूं तो मैं समझता हूं कि मैं उनके प्रति अन्याय करूंगा । यह फिर वे अपना नाम विदड्रा कर लें तो यह दूसरी बात है लेकिन वापस लेना यह बिल के प्रति अन्याय करना है और बोलने वालों की भावनाओं के प्रति अन्याय करना है । अगर मेंबर अपना नाम विदड्रा कर लें तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

SHRI JINENDRA KUMAR JAIN : Madam, we are quite opposed to the idea of Mr. Narayanasamy that he should be specially inivited to such a Joint Parliamentary Committee. Nobody can be smuggled in such Committees like this.

THE DEPUTY CHAIRMAN : That is not my look out.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : मैडम, इस सदन के सदस्य श्री अहलुवालिया जी ने गैर-सरकारी विधेयक रखा है—अपने राजनैतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म का उपयोग करने वाले, अपने राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिए वर्गीय अपील जारी करने वाले सभी राजनैतिक दल जिनके कार्यकलाप राष्ट्रीय हित के विरूद्ध है, पाबंदी लगाने व तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को विचार करने के लिए सदन के अंदर लाये हैं ।

माननीय सदस्य की अच्छी भावना थी कि आज भारत की तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी हो गयी हैं कि जिनके कारण वे यह गैर सरकारी विधेयक लाये । सरकार भी अपनी ओर से एक विधेयक सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर लाई ।

धर्म और राजनीति का जो संबंध है इस पर कई इधर के सदस्यों और कई उधर के—पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार इस सदन के अंदर रखे है । मैं यह मानता हूं कि राजनीति से धर्म को अलग रखने के संबंध में हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि धर्म इस दुनिया में क्यों आया । धर्म कैसे पैदा हुआ ।

इस दुनिया के अंदर ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा मानने वाले है । मैं सबसे पहले ईसाई धर्म में मानव को धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में बताना चाहता हूं । ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है । यह पवित्र ग्रंथ मानव पतन, फाल आउट आफ द मैन, नामक एक अध्याय का अध्ययन कराता है । बाइबिल में लिखा हुआ है कि जब तक मानव का पतन नहीं हुआ था तब तक मानव को धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उस समय मानव इतना पवित्र था कि स्वयं ईश्वर आकर उसकी सेवा करता था । जैसे-जैसे मानव का पतन हुआ, धर्म पैदा हुआ ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री पी॰ नारायणसामी) पीठासीन हुए]

धर्म के इतने रूप इस दुनिया के अंदर बने, अलग अलग पंथ बने, कहीं हिंदू पंथ, कहीं मुस्लिम पंथ, कहीं जैन पंथ, कहीं बौद्ध पंथ तो कहीं ईसाई पंथ, इतने पंथ बने—वैसे धर्म का अर्थ तो होता है कि सारी मानव जाती एक धर्म के अंदर आये, लेकिन अलग-अलग पंथों ने इस संसार को कई प्रकार के रास्तों में भटकाया और उनका एक ही उद्देश्य रहा कि अशिक्षित, अविकसित मस्तिष्क के लोगों में किसी ऐसे अंधकार की, निरंकार मूर्ति की या अन्य निरंकारी भावना भरकर, ऐसी शक्ति की भावना भरकर उन्हें एक रास्ते पर, अपने रास्ते पर चलाया जाए । उसी का परिणाम है कि निरंकार, एक शक्ति की प्रदर्शनी या भावना पैदा करके आज यह महसूस करते हैं कि, लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, वे अपने पैर लोगों से छुवाते है । उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर जब सर्वे होता है तो इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के बुजुर्ग सांसद जो इस देश में लोकतंत्र की स्थापना चाहते है उन्हें भयंकर दुःख है इस बात का और धर्म के नाम से इतने भयभीत हैं वे लोग कि मृत्यु के बाद उन बुद्धिजीवी और बुजुर्ग सांसदों को यह भय है कि उनकी मृत्यु से इस देश का क्या होगा, क्योंकि धर्म का धंधा करने वालों ने एक अज्ञात भय मानव जाति के मस्तिष्क में भर दिया है । प्रत्येक शरीर अपने मस्तिष्क का गुलाम होता है । मस्तिष्क में भय समाया हुआ है । इसी भय के कारण मानव का मस्तिष्क, उसे धर्म का धंधा करने वाले लोगों के मुंह की ओर देखना पड़ता है ।

आज भारत का बच्चा-बच्चा भारतीय है, लेकिन भारत के अंदर धर्म के ठेकेदार धर्म का प्रचार करने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी एक संप्रदाय में बांटना चाहते हैं ।

महाभारत में भी धर्म की परिभाषा की गई है । जो धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है, वह अधर्म है, पाप है । लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस देश के अंदर जब लोकतंत्र लागू हुआ, लोकतंत्रीय व्यवस्था देश के अंदर की, तो उसके अंदर कहीं धर्म का, लोकतंत्र में कहीं भी धर्म के नाम पर वोट लेने का कोई अधिकार संविधान के अंदर नहीं दिया गया था । लेकिन समझ में नहीं आता, इस देश में कुछ ऐसी पार्टिया भी बनीं, जिनका मूल उद्देश्य लोगों के सामने धर्म के नाम पर वोट लेने के सिवाए दूसरा रास्ता नहीं है । देश के विकास, देश की उन्नति, वैज्ञानिक युग में यह देश नहीं आए, पतन होता रहे इस देश का, लेकिन उनका धर्म के नाम पर जो स्वार्थ है, वह पूरे होते रहें ।

पर आज भारत के संविधान के अंदर जो व्यवस्था है, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता । प्रत्येक भारतीय के लिए उसको यह स्वतंत्रता है कि अपनी मन इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, करे, कहीं भी किसी प्रकार की रोक नहीं है । फिर इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का अहित चाहने वाले कुछ स्वार्थी तत्व, कुछ ऐसी धार्मिक जो बीमारियां है, वे इस देश के लोकतंत्र के पीछे जब से लोकतंत्र लागू हुआ है, तब से पीछे पड़ी हुई है । इस देश के 1952 के संविधान के चुनाव के बाद—हमारे सामने बैठे हुए

भारतीय जनता पार्टी के कुछ माइयों को इस बात का दर्द हो सकता है, क्योंकि इनके तो रूप बदलते रहे हैं—इनकी पार्टी के—जन संघ पार्टी इस देश के अंदर आई । इन्होंने गो-हत्या के नाम पर इस देश के लोगों में चुनाव में प्रचार किया, भावेला किया । गो-हत्या के नाम पर यहां दिल्ली में ला करके साधुओं को मरवाया लेकिन इस देश की जनता समझदार थी, इनके बहकावे में नहीं आई । उसके बाद गंगा नदी जैसे पवित्र स्थान, जो कि हिन्दुओं का पवित्र स्थान है, हिन्दू यह मानता है कि गंगा में स्नान करने के बाद मैंने जो पाप किए हैं उनसे मुझे छुटकारा मिल सकता है, उसके गंगाजल को इस देश के अन्दर बेचा गया । गंगाजल को गांव-गांव, गली-गली में घुमाकर चंदा इकट्ठा किया । क्या मज़ाक है हिन्दू धर्म के साथ, क्या हिन्दू धर्म को खिलौना समझ रखा है ? अधर्म, असत्य बात जो ये करते हैं वह तो धार्मिक बात बनाते हैं, लेकिन इनके दिल से टटोलो कि ये हिन्दू धर्म की वास्तविकता को मिटाना चाहते हैं । हिन्दू धर्म की विशेषता को मिटाना चाहते हैं । इस भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं । भारत का इतिहास है कि भारत के ऊपर जब भी किसी ने बाहर से आकर शासन किया है तो वह अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सका, बल्कि भारत की संस्कृति और हिन्दू धर्म की यह विशेषता रही है कि उसको अपने में मिला लिया । दूसरी बाहर से आने वाली शक्तियां कभी हिन्दू धर्म को मिटा नहीं सकीं, भारत की संस्कृति को मिटा नहीं सकीं, लेकिन आज खतरा है भारत के अन्दर हिन्दू धर्म को जो इस देश के अन्दर बैठ कर हिन्दू धर्म की बात करते हैं, उनसे हिन्दू धर्म को खतरा है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उसके बाद 1985 के चुनाव के अंदर ईंट पूजा, 1985 के चुनाव के बाद ईंट की पूजा गांव-गांव लेकर गए । ये सारे काम सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए हैं । गांव-गांव में ईंट पर भेंट चढ़वाई और लाखों रूपये लोगों से चंदे के रूप में लिए । पता नहीं उन ईंटों का क्या हुआ ? गांवों के लोग इनके सिरों पर रखी ईंटों को पूज रहे थे, आरतियां उतार रहे थे, तब भी इनकी पार इस देश की जनता के सामने नहीं चल सकी । फिर इनकी पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी सभ्यक्ष बन गए और सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा की बात आई इनको कि लोगों को कैसे बाद में हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा इस देश के अन्दर कराया जाए । इस देश के विकास को रोका जाए । इस देश की जो मान-मर्यादा जो दूसरे देशों के अन्दर है उसको मिटाया जाए । इनका एक ही लक्ष्य रहा कि कैसे भी इस देश की सत्ता हो । आडवाणी जी ने रथ यात्रा चालू की । एक बात और मैंने और इस सदन के लोगों ने भी देखी होगी कि रथयात्रा निकले, आडवाणी जी राम बन जाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य हिन्दुओं का और कोई नहीं है कि आडवाणी जी राम बने । कमाल का इनका जो चुनाव चिन्ह है वह रथ के अन्दर है । उसके ऊपर एम जी की फोटो और आरती लोग दीपक-थी, दीपक से तो सब उतारते हैं, लेकिन गुजरात के अन्दर, जहां अहिंसावादी महात्मा गांधी का जन्म हुआ, उस प्रांत के अन्दर खूनों से आरती उतारी जाए । इन लोगों का क्या उद्देश्य था और भारत की जनता से क्या चाहते थे ? ये केवल खून की होली इस देश के लोगों के साथ खेलना चाहते थे और इन्होंने होली खेली । अब तक अयोध्या की यात्रा के बाद सांप्रदायिक दंगों के अन्दर इन लोगों ने दस हजार, बीस हजार, के करीब लोगों की हत्याएं करवा दीं । इतनी हत्याओं का कौन जिम्मेदार है इस देश में ?

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : आप हैं ।

श्री मूलचन्द मीणा : इस देश में जो जितनी ज्यादा हत्या कराता है, वह नेता होता है बी० जे० पी० का ।

श्री संघ प्रिय गौतम : आपकी पार्टी का ।

श्री मूलचन्द मीणा : *

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : Why is he talking irrelevant things ?

श्री मूलचन्द मीणा : सबसे ज्यादा हत्यारा बी० जे० पी० का नेता है । शर्म करिए कम-से-कम, जिनके बच्चे मर गए, जिनकी गोदें उजड़ गयीं, जिन बहनों के चूड़े टूट गए, उनसे जाकर पूछिए गौतम जी कि हत्यारों का क्या होगा ? यहां कुछ होनेवाला नहीं है, लेकिन ईश्वर है, उसका परिणाम आप लोगों को देखना पड़ेगा । ईश्वर परिणाम देगा आपको । लोग आपके भुलावे में तो आ सकते हैं, लेकिन पापी के पाप का घड़ा जब तक नहीं भरता तब तक वह गुलछर्रे उड़ाता है, लेकिन पाप का घड़ा तो फूटता ही है एक दिन । याद रखिए आपके पाप का घड़ा भर चुका है और वह आनेवाले समय में फूटेगा । मान्यवर, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो धर्म और राजनीति के मेल की बात करते हैं, इसमें क्या उद्देश्य है आप लोगों का ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Meenaji, try to conclude.

श्री मूलचन्द मीणा : मान्यवर, धर्म की राजनीति जब चलती है तो मानव-जाति बर्बाद हो जाती है हम इतिहास का स्मरण करें, धर्म की राजनीति में मानव परमात्मा का नाम लेकर मानव को कत्ल करता है । एक अदृश्य और अज्ञात का सहारा लेकर वह चिल्लाता है—"अल्लाहो अकबर" "जय बजरंग बली" "हर-हर महादेव" और "जय-सियाराम"— यह सब कहकर आदमी को अंधा बना दिया जाता है और तब वह ये नारे लगाता है । आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वही काम कर रहे हैं । वे "जय सियाराम" का नारा लगाते हैं और धर्म के नाम पर खून की नदियां बहाते हैं । वे मानव की मानसिक कमजोरी का लाभ उठाना चाहते हैं । उसे इस तरह बहकाते हैं कि मरना तो एक दिन है ही लेकिन धर्म के नाम पर मरो, लेकिन वे भूल जाते हैं कि लोकतंत्र के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है । लोग उनके बहकावे में आकर एक-दूसरे का खून कर देते हैं, लेकिन भारत के संविधान के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । वे इस तरह संविधान का मखौल उड़ाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस बात को पूछना चाहता हूं कि क्या 6

*Expunged as ordered by the Chair.

दिसम्बर की घटना इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए की गयी या इस देश के संविधान की रक्षा के लिए की गयी, क्या इस देश के न्यायालय की इज्जत करने के लिए की गयी थी ? दुर्भाग्य है इस देश का कि यहां ऐसी-ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जोकि वोट के लिए धर्म का प्रयोग करती हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन पार्टियों पर पाबन्दी नहीं लगायी जाती है तो फिर भारत का लोकतंत्र नहीं रहेगा और लोग इस विशाल लोकतांत्रिक देश का नाम भूल जाएंगे । मान्यवर, 6 दिसम्बर, की घटना इस देश के संविधान का उल्लंघन, न्यायालय का उल्लंघन, संसद का उल्लंघन, इस देश की मान-मर्यादा का उल्लंघन और देश की धर्म-निरपेक्षता पर हमला था । लेकिन फिर भी इस देश के लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने आपको न्यौछावर किया, आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी । अगर उनके बलिदान को देखें तो उन्होंने निस्वार्थ होकर इस देश को आजादी दिलाई और इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था कराई । आज स्वार्थी लोग इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं । आपने देखा है 1947 का एक टुकड़ा । उस समय घरों को जलाया गया, बहनों की इज्जतों को लूटा गया, एक दूसरे का कत्लेआम किया गया । अब अगला बंटवारा, तो क्या होगा इसका परिणाम ? आज मुरली मनोहर जोशी, जी तो यहां हैं नहीं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यदि हम सत्ता में आए तो धर्म-निरपेक्ष राज करेंगे । भूल गए वह हिन्दु-राज की बात । .....(व्यवधान).....

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : वह पहले भी नहीं चाहते थे, श्रीमान् । आप अपनी याददास्त को कुरेद लीजिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक राज की स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया है । यह आपकी जानकारी गलत है । .....(व्यवधान).....

श्री मूलचन्द मीणा : ठीक है, मैं कहता हूं, अच्छा किया आपने प्रस्ताव नहीं किया । और, आगे भी आप ऐसी बात न रखें तो ठीक है । लेकिन, यह "हरहर महादेव", "जय सियाराम" यह नारे क्यों दिए हैं ? राम तो सारे हिन्दुओं का है । कोई आप ठेकेदार नहीं हो राम के ? मर्यादा पुरूषोत्तम थे वह तो । आप उनकी मर्यादाओं को भंग क्यों कर रहे हो ? मैं यह पूछना चाहता हूं ।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : आप भी जय बोलकर काम चलाइए । आपको जय बोलने से किसी ने रोका नहीं है । .....(व्यवधान).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly do not interrupt him.

श्री मूलचन्द मीणा : जहां हमें दुखदर्द होता है वहां तो रामजी का नाम हम भी लेते हैं । सबसे बड़े रामभक्त तो थे हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने मरते समय भी "हे राम" "हे राम" कहा था । .....(व्यवधान).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Meenaji, you have to conclude now.

श्री मूलचन्द मीणा : राम के सच्चे भक्त की हत्या करने वाले लोग आज राम के भक्त बने हैं, समझ में नहीं आता ।

उपाध्यक्ष जी, आप भी जल्दी कर रहे हैं । मैं कोशिश कर रहा हूं, जितना शॉर्ट हो जाए, ठीक है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You cannot just try your best. You have to conclude now. Try to conclude now. There are so many speakers. I have to call other Members also.

श्री मूलचन्द मीणा : ठीक है, तो फिर मैं बैठ जाता हूं ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No. You have to be brief and conclude.

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : मीणा जी, कृपया धर्म के नाम पर असत्य वर्णन मत कीजिए । अभी आपने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन आपने कपूर कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा होगा । यहां सरकार बैठी है । आप कृपया असत्य वर्णन यहां मत कीजिए । .....(व्यवधान).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly take your seat, Mr. Gupta. Please do not interrupt him.

श्री मूलचन्द मीणा : मैं राम की बात कर रहा हूं, आपने हर्षद की बात कही ।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : मैं हर्षद की नहीं, कपूर कमीशन की बात कर रहा हूं । आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी । जब आप आरोप लगाते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की .....(व्यवधान).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Gupta, do not interrupt him. Please take your seat.

श्री मूलचन्द मीणा : गुप्ता जी, मैंने यह नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की । मैंने कहा था कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वह आज धर्म के ठेकेदार बनते हैं । जो आर० एस० एस० के लोग, नाथूराम गोडसे क्या आर० एस० एस० का नहीं था ?

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : नहीं था । यह कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए । इसी के आधार पर बेन खतम हो गया, रिजेक्ट हो गया, आर० एस० एस० से प्रतिबंध हट गया ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mr. Gupta, I have told you two or three times already. Please do not interrupt him.

श्री मूलचन्द मीणा : आपके चरित्र की तो इससे ही बात की जा सकती है । अयोध्या के अन्दर मस्जिद को तोड़ दिया, मस्जिद के ढांचे को तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे लोगों ने नहीं तोड़ा । आप कर्म करते हैं और उससे मुकर जाते हैं । आपका नाथूराम गोडसे भी आर० एस० एस० का नहीं रहा और कल जाकर अडवाणी जी भी नहीं रहेंगे इनके । इसलिए इस देश की भौगोलिक स्थिति, इस देश की वर्ण व्यवस्थाओं, इस देश की जाति और धर्म के आधार पर यदि हम राजनीति करने चले तो इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे । इस देश के अंदर कई धर्मों के लोग, कई जातियों के लोग, कई भाषाओं के लोग हैं । एक-एक कोस पर तो इस देश की वेषभूषाएं बदलती हैं, भाषाएं बदलती हैं । यदि आज हम इसको लेकर चलें तो देश के टुकड़े हो सकते हैं ।

इसलिए अहलुवालिया जी जो प्रस्ताव लाए हैं, यह अच्छा प्रस्ताव है, देश के लोकतंत्र की इससे रक्षा होगी । यदि राजनीति को धर्म से दूर किया, राजनीति से धर्म को हटा दिया तो सामने बैठे हुए लोग, जो 1985 में केवल दो आए थे, उसी प्रकार से वे एक-दो ही दिखाई देंगे और उससे ज्यादा नहीं दिखाई देने वाले हैं । इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : उपसभाध्यक्ष महोदय, हम लोग इस सदन के सदस्य अहलुवालिया जी के गैर-सरकारी बिल पर चर्चा कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि किसी सदस्य की भावनाएं अच्छी हो सकती हैं, मैं किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, न उनके प्रति कोई अविश्वास व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन श्री अहलुवालिया जी जिस उद्देश्य से इस बिल को लाए हैं, वह उद्देश्य ठीक नहीं है, उसके पीछे नीयत भी ठीक नहीं दिखाई देती । फिर मैं यदि और विस्तार में जाऊं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किन शब्दों का यहां प्रयोग किया गया है—साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध । उपसभाध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न यह है कि साम्प्रदायिकता है क्या ? पहले कृपा करके यह तय कर लीजिए और ऐसा नहीं हो सकता कि आप केरल में मुस्लिम लीग से सांठ-गांठ करें और अपने आपको दूध का धुला सिद्ध करें । यह समझ लीजिए आप, यह दुधारी तलवार है । इसलिए सबसे पहले जब माननीय सदस्य यह बिल लाए हैं, ज्यादा अच्छा होता कि वे इसपर और गंभीरता से विचार करते । जहां तक साम्प्रदायिकता का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिकता की सदैव विरोधी रही है, राजनीति में मज़हब की विरोधी रही है, मज़हब के आधार पर शासन करने की वह सदैव विरोधी रही है । लेकिन धर्म अलग चीज है, मज़हब अलग चीज है, यह अच्छी तरह समझ लीजिए और इसके कारण जो आप कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं और सारा दोष भारतीय जनता पार्टी या अन्य राष्ट्रवादी ताकतों पर मढ़ रहे हैं, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, यह निरर्थक है, इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति होने वाली नहीं है । इसकी वजह यह है कि साम्प्रदायिकता की व्याख्या आप जब तक तय नहीं करते, तब तक यह किसी पर लागू नहीं हो सकता । हर कोई कहता है कि मैं भी साम्प्रदायिकता विरोधी हूं, मैं भी साम्प्रदायिक ताकतों का विरोधी हूं—भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, कांग्रेस भी यही कह रही है, सवाल है उनके आचरण का और जब आचरण का प्रश्न आता है, वहीं पर फैसला होगा । यह माननीय अहलुवालिया जी के प्रस्ताव से हल नहीं होगा । मैं इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि आर० एस० एस० तो आपकी निगाह में बहुत ज्यादा साम्प्रदायिक पार्टी है, आप रोज उन्हें गालियां देते हैं । दिन-रात यह धंधा बना रखा है आप लोगों ने, जो कुछ है, यह आर० एस० एस० गड़बड़ कर रही है । मैं पहली बात पूछना चाहता हूं कि अगर आर० एस० एस० घोर साम्प्रदायिक पार्टी है तो इस पर दो बार प्रतिबंध लगाकर क्यों हटाया गया और तीसरी बार भी प्रतिबंध कोर्ट ने क्यों हटाया ? आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यह हाउस बड़ा नहीं है, देश की कोर्ट बड़ी है और उससे भी बड़ा देश है । गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं बहुत नेक इरादे से, आपके भी इरादे कितने नेक हैं, कृपया आपको सब बात की अनुमति नहीं दी जा सकती । जब आपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया तो उसका नतीजा क्या हुआ ? कोर्ट ने आपके फैसले को रद्द कर दिया । बहुत बड़ी चपत मारी । जब इरादे गंदे हैं, जब शासन चलाने के इरादे ठीक नहीं है और यह संविधान के मौलिक अधिकारों के विपरीत है । संगठन बनाना लोगों का अधिकार है । सवाल है उनके आचरण का, जैसा इसमें भी कहा है । बहुत अच्छी बात कही गई है । लेकिन आचरण का ही सवाल है कि जिनकी गतिविधियां राष्ट्र हित विरोधी हों । अब अगर आर० एस० एस० की गतिविधियां राष्ट्र हित विरोधी थी तो प्रतिबंध क्यों हटाया गया ? श्रीमान जी, यहां पर बहुमत से भी बिल पास करने से कोई नतीजा नहीं होगा । मैं जानता हूं कि आप चाहें तो बिल पास करा सकते हैं, हो सकता है । सवाल यह है कि इसका फैसला जनता को करने दीजिए । इसका फैसला कोर्ट को करने दीजिए और पहले ही अपने संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं । मैंने देखा कि गऊ वध के नाम पर जहां वोट मांगे गए, याचिकाओं में उनके चुनाव रद्द कर दिए गए । जॉलरेडी कोर्ट है और वह सबके बयान लेकर फैसला करेगी कि किसी का कोई कदम साम्प्रदायिक था या नहीं था । इसलिए इस प्रकार के बिल रखने का कोई फायदा नहीं । हां, बहस जरूर कीजिए, बहस से भी कई बातों का लाभ होगा । लेकिन इसको एकमुश्त पास नहीं किया जा सकता । साम्प्रदायिकता क्या है, अगर एक बार इसको तय कर दें और यह किन-किन पर लागू हो सकता है, नहीं हो सकता है, यह देख लें और इसीलिए जहां तक पार्टियों का सवाल है, हम पर तो हमले होते ही रहे हैं और हर बात का हमला । आपको सीखने के लिए यह काफी है कि तीन बार आपको राष्ट्रीय

स्वयं संघ से प्रतिबंध हटाना पड़ा । यह कहना बहुत काफी है, इससे आपने क्या सबक सीखा ? अगर वह साम्प्रदायिक पार्टी थी, उसी ने ही सब दंगे कराए, उसी ने ही खून-खच्चर कराया तो 1947 के दंगे किसने करवाए ? देश का विभाजन किसने करवाया ? क्या आप इसका विचार नहीं कर सके ? इसलिए गलत तो गलत है, चाहे किसी के भी खिलाफ हो । लेकिन राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ निर्दोष था, यह कोर्ट ने सिद्ध कर दिया । उनकी कोई गतिविधियां साम्प्रदायिक नहीं हैं, यह कोर्ट ने सिद्ध किया हुआ है । अब आपका क्या कहना है, मैं पूछना चाहता हूं आज जब कोई गुंजाइश नहीं है . . .

श्री शाहीद हाशमी : आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उस पर एक शेर पढ़े देता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mr. Hashmi, you go to your seat first.

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : अब आपके शेर बहुत हो चुके हैं, कृपया मुझे बोलने दीजिए ।

श्री शाहीद हाशमी : मैं एक शेर सुना रहा हूं :

"बने हैं अहले हवस मुद्दई भी, मुंसिफ भी,
किसे.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mr. Hashmi, you go to your seat.

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : मेरा समय यह न लें ले ज्यादा अच्छा है । मैं निवेदन यह कर रहा था कि जहां तक इस बात की भावना का सवाल है, उसका विरोध तो नहीं है लेकिन उद्देश्य इसका जरूर गलत है और मैं समझता हूं कि अगर सरकार शोक गंभीर है तो एक बार हमेशा के लिए यह तय हो जाना चाहिए कि आखिर, साम्प्रदायिकता है क्या ? यह नहीं हो सकता कि हमारे लिए अलग और आपके लिए अलग । जब केरल की मुस्लिम लीग से आपने समझौता किया तब स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि वहां की मुस्लिम लीग पुरानी मुस्लिम लीग से अलग है । तो यह कोई फर्क नहीं हो सकता कि जो सुविधाजनक तर्क है वह आपके लिए हो । अगर आप साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ बोलना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग या जिनके पंथ के नाम पर नाम रखे गए हैं—जाति विशेष पर, अब भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं भी पंथ पर नाम नहीं है । हम तो भारतीय जनसंघ थे तब भी कुछ नहीं और अब हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ थे और अब हैं तो भी उसमें कुछ नहीं है । यहां तो अब अकाली दलों के नाम पर राजनीति चलाई गई, मुस्लिम लीग के नाम पर चल रही है । लेकिन हमने तो वैचारिक आधार पर उसका विरोध करने का तय किया है । हम उन पर भी प्रतिबंध लगाने के विरोधी नहीं हैं । मैं अपनी पार्टी की ओर से यह साफ कहना चाहता हूं । हम उनको भी मौका देना चाहते हैं । लेकिन जनता फैसला करेगी कि कौन सी पार्टी साम्प्रदायिक है और कौन सी नहीं है और अगर जनता के मोलेपन से वह फैसला न कर पाए तो कोर्ट फैसला करेगी । लेकिन इस तरह के बिल पास करने का कोई लाभ नहीं होगा । यह निरर्थक है । इसलिए मैं अब अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं । साम्प्रदायिकता की परिभाषा हमेशा के लिए तय हो जानी चाहिए । जहां तक धर्म और मज़हब का सवाल है, दोनों अलग-अलग चीजें हैं, जिसको लेकर आप गालियां देना चाहते हैं । गांधी जी ने रामराज्य की बात कही, क्यों ? राम अगर आपके लिए धार्मिक है तो रामराज्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं लेकिन पीछे गांधी जी का उद्देश्य यह कभी नहीं था । जो उदात्त भावना है, वह हमारे धर्म से मिलती है, धर्म कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन पंथ का राजनैतिक उपयोग बुरा है, मजहबी आधार पर वोट मांगना बुरा है, उस पर राजनीति करना बुरा है लेकिन धर्म कभी बुरा नहीं है । धर्म से ही हम आज तक बचे हुए हैं । धर्म क्या कहता है, आत्मा क्या कहती है, उसके मुताबिक आप चलते हैं । धर्म तो अपनी जगह पर ठीक है लेकिन मजहब और पंथ के नारे देकर जो राजनीति कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वह गलत हो जाते हैं ।

मिजोरम के अंदर जब आप क्रिश्चियन राज का अपने मेनीफैस्टो में जिक्र करते हैं, तब आपकी कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आती है और जब उसका विरोध होता है तो कहते हैं कि गलती से हमने रख दिया है लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस जो तरीके अपना रही है, मैं समझता हूं कि उनके इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे । हम तो इस बात के समर्थक हैं कि सारे देश में सब पार्टियां चलें, जिनको चलना है चलती जाएं और अगर वह गलती करती हैं तो जनता फैसला कर देगी । वे वैचारिक लड़ाई लड़ें । यहां बहुमत के आधार पर बिल पास करने का कोई नतीजा नहीं होगा ।

मैं चाहता हूं कि ये पार्टियां वैचारिक आधार पर अपनी लड़ाई लड़ें, नहीं तो कोर्ट में जाकर अपना फैसला कराएं । यह जो बिल है, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको वापस लिया जाए, यह मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Shri Iqbal Singh. Not here. Shri S. P. Mishra. Not here. Shri Obaidullah Khan Azmi.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (उत्तर प्रदेश) : शुक्रिया जनाब । इस वक्त हाऊस में श्री अहलुवालिया जी के प्राइवेट मेंबर बिल पर जिसका उन्वान है कि फिरकापरस्त सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगाई जाए, इस पर बड़ी लंबी-चौड़ी तकरीरें हुई हैं और मार्च के महीने से अब तक इसी मौजू पर मार्च हो रहा है । यह मौजू, यह सब्जैक्ट यकीनन बहुत गंभीर है, बहुत नाजुक है और पार्लियामेंट में मुंसिफसाना तौर पर अगर इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दिल के दरीचे खोल दिए जाएं, अंधेरे को मिटाने के लिए, रोशनी हासिल करने के लिए,

दीन-धर्म जो सही मायनों में फिरकापरस्ती को मिटाने की चीज है, उसको समझकर, उसके पालन की राह पर चलने के लिए इस पार्लियामेंट में हमारा हर मेंबर चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, इसी तरह हलफ उठाए जिस तरह से पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से मुल्क की गरिमा को बचाने के लिए आते ही इस हाउस में हलफ उठाई जाती है, तो यह बड़ी मुनासिब बात होगी ।

महोदय, जिस धर्म और मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के लोग आज कौमी यकजहती का नारा लगाने के बजाय जात-पात और फिरकापरस्ती के नारों में उलझकर रह गए हैं, यह केवल कौमों और मजहबों पर अमल करने वाले लोगों के लिए नुकसान की बात नहीं है बल्कि यह इस मुल्क की उस परंपरा और तहज़ीब के लिए भी नुकसानदेह है जिसके तहत आज इस हाउस में एक बिल प्राइवेट मेंबर बिल की हैसियत से अहलूवालिया जी की तरफ से आया है और एक बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मजहब और सियासत को अलग-अलग करने के लिए आ रहा है ।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि फिरकापरस्ती क्या है ? फिरकापरस्ती के लिए बहुत संजीदगी के साथ चलने की जरूरत है । अपने-अपने स्वार्थ को हासिल करने के लिए किसी दूसरे को फिरकापरस्त कहना, यह बजाते खुद फिरकापरस्ती है । फिरकापरस्ती के मीनिंग को आप तय कीजिए । फिरकापरस्ती की तारीफ क्या है, इस पर ईमानदारी के साथ चर्चा होनी चाहिए । हम अगर अपनी-अपनी पार्टी का प्यू सामने रखकर हाउस में कभी इस तरह की कोई बात करेंगे तो यह बजाते खुद एक फिरकापरस्ती होगी ।

4.00 P. M.

हम यह अर्ज करना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की धरती पर बसने वाले लोग हिन्दुस्तानी हैं इन हिन्दुस्तानियों में कुछ मुसलमान हैं, कुछ हिन्दू हैं, कुछ सिख हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ जैन हैं और इसी तरह से कुछ पारसी हैं, कुछ ईसाई हैं, मुख्तलिफ मजाहिब को हिन्दुस्तानियों ने तसलीम किया तो ये मजाहिब के लिए तसलीम किये गये हैं क्या फिरकापरस्ती को बढ़ावा देने के लिए ? इन मजाहिब को तसलीम करने का क्या मतलब ? फिरकापरस्ती पर चर्चा करने से पहले उन मजाहिब की तारीख को भी समझना होगा जिन मजाहिब को मानकर लोग जात-पात, बिरादरी और फिरकापरस्ती में अपने आपको तबदील कर देते हैं ।

[उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी) पीठासीन हुए]

इसलिए कि ऊंच-नीच, छुआछूत ये सब कहीं न कहीं मजहब का एक अंग बन गये हैं । धर्म की एक तस्वीर बन गई है । लोगों को एक्सप्लायट करने का एक जरिया बन गया । इसलिए लफ्ज फिरकापरस्ती जो है यह बहुत अहम है समझने और समझाने के लिए ।

मजहब का जहांतक सवाल है धर्म और मजहब की परिभाषा की व्याख्या कर रहे थे हमारे मोहतरिम दोस्त । हम जिस प्यू और जिस नुक्ते नज़र से इस बात को कह रहे थे वह नुक्ते नज़र यकीनन बड़ा खूबसूरत और बेहतर था । मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि मजहब जैसा कि उन्होंने कहा पंथ गड़बड़ है मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूं । पंथ भी गड़बड़ नहीं, मजहब भी गड़बड़ नहीं । पंथ के नाम पर सियासी फायदा उठाने वाले गड़बड़ हैं । मजहब के नाम पर सियासी फायदा उठाकर फिरकापरस्ती को पैदा करने वाले गड़बड़ हैं । कोई भी मजहब क्या इंसानों का सिर काटने की बात सिखलाता है ? कोई भी धर्म क्या मानवता का हनन करने की बात सिखलाता है ? कोई भी मजहब क्या फिरकापरस्ती कबूल करने की गुंजाइश अपने अंदर रखता है ? किसी भी धर्म में पूर्वजों के खिलाफ अगर किसी को उकसाया जाता है तो मैं सफाई के साथ पार्लियामेंट में कहना चाहता हूं यह सब कुछ हो सकता है लेकिन धर्म नहीं हो सकता । कोई भी मजहब अगर किसी भी मजहब के बुजुर्गों, पूर्वजों के खिलाफ नफरत के जजबात का इज़हार करना सिखलाता है अपने लोगों को तो यह सब कुछ हो सकता है मगर मजहब नहीं हो सकता । इकबाल ने तो बहुत पहले कह दिया था :

> मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
> हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दुस्तां हमारा ।

इसलिए फिरकापरस्ती की तह में घुसकर इस फिरकापरस्ती को समझना होगा । फिरकापरस्ती किन बातों को कहा जाता है ? आज अगर हम मुसलमान के हकूक के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठायें, मिसाल के तौर पर अगर हम यह कह दें कि बाबरी मस्जिद टूटी और तोड़ने वालों ने मुसलमानों के हकूक को तबाह और बर्बाद कर दिया, मिसाल के तौर पर हम यह कह दें कि मुसलमान का हक नहीं दिया गया, 1947 से लेकर आजतक, जितने भी अपने आपको सेक्यूलर कहने वाले या नान-सेक्यूलर जमाते हैं इन तमाम लोगों ने देश भर के मुसलमानों से वोट मांगे और इस हाउस में आने के बाद उनके मसाइल की वकालत कभी नहीं की—उनकी तालीम के अंदर, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सर्विसेज में उनको आगे ले जाने के लिए, उनका रिजर्वेशन दिलाने के लिए उनके पर्सेन्टेज के बुनियाद पर, इस मुल्क में उनके जानमाल के तहफ्फुज के साथ-साथ उनके विकास के जरिये—बरूयेकार लाने के लिए किसी पार्टी ने काम नहीं किया, अगर हम यह बात कहते हैं तो हमें तो इस बात के लिए कहीं न कहीं फिरकापरस्ती भी कहा जाता है । कहीं न कहीं जाकर यह कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों के मामले में बोलते हैं । कहीं न कहीं जाकर यह कहा जाता है कि जब देखो तब मुसलमान समुदाय की बात कही जाती है । हम कहते हैं दस्तूरे हिन्द ने हर उस समुदाय के उत्थान की बात को तय कर दिया है जो समुदाय इस मुल्क में एक्सप्लायटेशन का शिकार है । जो समुदाय की जिहालत और गुरबत के माहौल से गुजारने की बात करता है अगर उसके लिए अकीदा तेवर और तेवर के साथ कोई बात पार्लियामेंट में कही जाती है और मुल्क के किसी हिस्से में कहा जाता है, रेडियो और दूरदर्शन पर कहा जाता है, अखबारात में बयान दिया जाता है तो इसका नाम फिरकापरस्ती नहीं है,

जिहालत की इंतहा यह हो चुकी है कि मजदूर और मजबूर बेकस और मफ्लूक कौमों के हकूक के लिए अगर आवाज उठाई जाए तो इसका भी नाम फिरकापरस्ती रख दिया गया है । अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए तो इसके नाम भी फिरकापरस्ती रख दिया गया है । अगर मस्जिद तोड़ी गई है, मस्जिद का स्ट्रक्चर पामाल हुआ है उसके खिलाफ बोला जाए तो उसका भी नाम फिरकापरस्ती रखा गया है । आज अगर मन्दिरों को तोड़ा गया है और उसके खिलाफ बोला जाए तो उसका नाम भी फिरकापरस्ती रख दिया गया है । यह मेरी समझ में बात नहीं आती । मस्जिद तोड़ने का नाम भी फिरकापरस्ती और मस्जिद जोड़ने का नाम भी फिरकापरस्ती और हकूक के मांगने का नाम भी फिरकापरस्ती हो गया है । हनन करने का नाम भी फिरकापरस्ती । आखिर मेरी समझ में बात नहीं आती कि लफ्जे फिरकापरस्ती की व्याख्या क्या होगी ? लफ्जे फिरकापरस्ती की तारीफ और मिनिंग क्या होगी ? लफ्जे फिरकापरस्ती की पहचान क्या होगी ? इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक मैंने समझा है फिरकापरस्ती को, फिरकापरस्ती यह नहीं है कि जिन लोगों का हक मारा गया हो उनके हक में आवाज उठाना फिरकापरस्ती है । यह फिरकापरस्ती हरगिज नहीं है । अलबत्ता जिन लोगों का हक मांगा जा रहा है उनका हक दिलवाते हुए दूसरी कौमों के हक को छीन लेना, जिस मजहब को माना जा रहा है उस मजहब को मानते हुए दूसरे मजहब के खिलाफ बोलना, यह जरूर फिरकापरस्ती हो सकती है । इसलिए लोगों को इंसानियत को फायदा पहुंचाने का ही नाम कौमी हकजहती और इंसानियत है और इंसानियत को अपनी खुदगर्जी के लिए फायदे से वंचित रखना और नुकसान की तरफ ले जाना, इसी का नाम फिरकापरस्ती है... (**व्यवधान**) । नहीं, साहब, सुनिये । बात मैं कह रहा हूं । मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाला हूं । मैं अगर यह कहूं कि बी० जे० पी० वालों ने मस्जिद तोड़ा इन्होंने फिरकापरस्ती किया, चलिये ठीक है । मगर मस्जिद को बचाने का वायदा आपने किया था । आपने भी वहां मस्जिद को नहीं बचाया । तो क्या मैं आपको भी फिरकापरस्त कह दूं ? इसलिए मैं फिरकापरस्ती की बात सिर्फ मस्जिद को बचाने और मस्जिद को मिटाने की बुनियाद पर नहीं कह सकता ... (**व्यवधान**) । मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं । ईमानदारी की भी बात सुनिये । हर वक्त पोलिटिकल बात कह कर काम नहीं चलेगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी): मौलाना साहब, इख्तसार से काम लें ।

मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी : मैं दो मिनट लूंगा । मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस मसले पर सोचिये । मेरी बात सुनें । मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आपकी हुकूमत के जमाने में ऐसे नुकसान नहीं हुए जिन नुकसान को एक मजहब का नुकसान करार दिया जाय ? क्या बी० जे० पी० के कुकर्म से ऐसा नहीं हुआ कि मजहबी फिरकापरस्ती को हवा मिली हो ... (**व्यवधान**) । मैं सीधी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर कुल मामला फिरकापरस्ती का पंजाब के हर मंदर साहब पर खत्म हो जाता है, कुल मामला फिरकापरस्ती का बाबरी मस्जिद पर खत्म हो जाता है तो इतने सिकुड़े हुए दिल दिमाग से न बोलने के लिए तैयार हूं न इतने सिकुड़ हुए दिल दिमाग से फिरकापरस्ती को समझने के लिए तैयार हूं । हर मंदर साहब पर भी हमला हुआ । क्या मैं आपको फिरकापरस्त कह दूं ? क्या आप अपने को फिरकापरस्त करने के लिए तैयार हैं ? सिखों का काबा है हर मंदर साहब । क्या आपके जमाने में हर मंदर साहब पर गोलियां नहीं चली ? मैं कह दूं कि आपने फिरकापरस्ती पैदा की ? मैं कह दूं कि आपने उसको तोड़ा ? मैं यह कह रहा हूं कि हर मंदर साहब भी टूटा और बाबरी मस्जिद भी टूटी । जो लोग इसको तोड़ने से खुश हुए वे भी फिरकापरस्त, जिन लोगों ने इसको तुड़वाया वे भी फिरकापरस्त और कहीं दूर मत जाइये, यहीं महरौली आइये ... (**व्यवधान**) । जो रथ ले कर चला, जिसने बाबरी मस्जिद पर हमला किया ... (**व्यवधान**) । मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं किसी पार्टी का आदमी बन कर नहीं बोल सकता । आज मैं हिन्दुस्तानी की हैसियत से बोलूंगा, मैं जनता दल के आदमी की हैसियत से बोलना पसन्द नहीं करूंगा, मैं कांग्रेसी और बी० जे० पी० का आदमी बन कर बोलना पसन्द नहीं करूंगा । मैं हिन्दुस्तान की इज्जत और वकार के लिए बोलना जानता हूं । मैं हिन्दुस्तान की इज्जत और वकार के लिए बोलूंगा । आपके जमाने में भी लोगों के हकूक और राइट्स का कत्ल हुआ है । बी० जे० पी० ने भी लोगों के हकूक और राइट्स का कत्ल किया है । आप उनको फिरकापरस्त कहिये, वे आपको फिरकापरस्त कहें, आप उनको अपने आयने में देखें, वे आपको अपने आयने में देखें, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है । मैं तो सीधी बात यह कहता हूं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बी० जे० पी० हो, चाहे जनता दल हो, चाहे सी० पी० एम० और सी० पी० आई० हो, हिन्दुस्तान के सारे हिन्दू और मुसलमानों के लिए ... (**व्यवधान**) । मुझे आखिरी बात कहने दें । मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री अहलुवालिया जी जो बिल लाये हैं और इस बिल में जो बात कही गई है वह बहुत अच्छी बात है । यकीनन फिरकापरस्त सियासी पार्टियों पर पाबन्दी लगनी चाहिए वरना यह मुल्क तबाह हो जाएगा । यह मुल्क बरबाद हो जाएगा । यह मुल्क सूफियों का मुल्क है, यह मुल्क साधुओं का मुल्क है, यह मुल्क संतों का मुल्क है । इस मुल्क में कबीर पैदा हुए, इस मुल्क में बाबा नानक पैदा हुए । यह मुल्क मोइनुद्दीन चिश्ती की विरासत है । यह मुल्क गांधी, नानक, राम, और कृष्ण का मुल्क है । इन तमामतर की बोलियों में नफरत की गोलियां नहीं छिपी हुई थीं । इन तमामतर की बोलियों में कौमी एकजहती का रस भरा हुआ था जिसे पी-पी कर लोग जहर को निकाल कर, एक दूसरे के साथ मेल-मिलाप, कौमी एकजहदगी का सबब बना करते थे । खुदा के लिए आप लोग मुझे माफ करें । मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा और चम्मच बनने के लिए तैयार नहीं हूं । मैं नुमाइंदा हूं तो हिन्दुस्तान का हूं । मैं नुमाइंदा हूं तो हिन्दुस्तानी पार्लियामेंट का हूं और इसी के साथ अपने अल्फाज के जरिये अपने मुल्क के भाइयों के सामने यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि फिरकापराना सियासी लीडरशिप का खात्मा होना जरूरी है । आप लोग साम्प्रदा की

बात कर रहे हैं, बम्बई नहीं याद आया आपको, बम्बई किस तरह फूंका गया, याद नहीं है आपको । बम्बई में धर्म के नाम पर क्या कुछ हुआ, याद नहीं है आपको । सूरत में क्या हुआ ? मैं इन कहानियों को नहीं दोहराना चाहता । हम इस लायक नहीं रह गये हैं कि हम कौमी एकजहदगी की बात करें । कोई गले तक हुआ हुआ है फिरकापरस्ती में, कोई गर्दन तक हुआ हुआ है, कोई पैरों तक हुआ हुआ है फिरकापरस्ती में । आज हिन्दुस्तान में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो पार्टी अपनी सियासी खुदगर्ज़ी से ऊपर उठ कर इस मुल्क को बचाने का काम कर रही हो । इस मुल्क में कौमी एकजहदगी का काम कर रही हो । (व्यवधान) ।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी) : मौलाना साहब आप अपनी तकरीर खत्म करें, आपने काफी वक्त ले लिया है । (व्यवधान) ।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : इसलिए मैं कहना चाहता हूं (व्यवधान) मैं कब किस पार्टी की वकालत कर रहा हूं यह उस वक्त कहिये जब मैं किसी पार्टी की वकालत करूं । मैं तो कहता हूं कि सबके सब फिरकापरस्ती के जहन्नुम के करीब पहुंच चुके हैं । सब फिरकापरस्त हो चुके हैं । मुझे बतलाइये कि कौन ऐसा है जो आज फिरकापरस्त नहीं है ? अगर कोई ऐसा कहे कि मैं फिरकापरस्त नहीं हूं तो मैं उसकी गुलामी कर लूंगा । अगर फिरकापरस्ती नहीं है तो आज हिन्दुस्तान इस हालत में कैसे पहुंचा ? हां, मैं गांधी जी को कहूंगा कि गांधी जी फिरकापरस्त नहीं थे । मैं कहूंगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद फिरकापरस्त नहीं थे । मैं कहूंगा खान अब्दुल गफ्फार नहीं थे फिरकापरस्त । मैं कहूंगा कि चन्द्रशेखर आजाद नहीं थे फिरकापरस्त । मैं कहूंगा कि बड़े बड़े लीडरान जो महात्मा थे आजादी के, नहीं थे फिरकापरस्त । अगर वे फिरकापरस्त होते तो हिन्दुस्तान तरह तरह की गुत्थियों में उलझा रह जाता । उन्होंने हिन्दू की "ह" और मुस्लिम की "म" को मिलाकर हम बनाया, कौमी एकजहदगी पैदा की, तब यह मुल्क पैदा हुआ । इसलिये आप लोग तमाम इकट्ठा होकर बैठिये और फिरकापरस्त को तोबा कीजिये ताकि फिकापरस्ताना मिजाज के खिलाफ इस मुल्क में कौमी एकता का पैगाम दिया जा सके । शिव सेना के लीडर बाल ठाकरे... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी) : प्लीज कन्क्लूड । ... (व्यवधान)...

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : बिल्कुल आखिरी बात । उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा । ... (व्यवधान)... शिव सेना के लीडर बाल ठाकरे बंबई में बैठे हुए हैं...

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी) : दिस इज नाट दि पब्लिक मीटिंग कि बोलने दीजिये, बोलने दीजिये । The Chair will decide as to how much time a Member could take. You cannot say like that. यहां भाषण हो रहा है या जनसभा हो रही है कि बोलने दीजिये, बोलने दीजिये । प्लीज कन्क्लूड ।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : मैं आपसे एक मिनट की इजाजत चाहता हूं । ... (व्यवधान)... मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है । मेरा खुदा मेरी मदद के लिये काफी है । सुनिये । बाल ठाकरे ने बंबई को किस तरह से बरबाद किया, आप मानते हैं ? नहीं मानते हैं मैं आपसे पूछता हूं, क्यों ऐसी बातें आप कर रहे हैं ? बाल ठाकरे ने बंबई को जिस तरह से जलाया, जिस तरह वहां के लोगों को शरणार्थी बनने पर मजबूर किया और जिस तरह से आपकी पुलिस शिव सैनिक बनकर वहां काम करती रही, क्या इसे फिरकापरस्ती आप नहीं मानेंगे ?

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : बाल ठाकरे के साथ अगर महाराष्ट्र पुलिस को कम्पेयर करेंगे तो आई वुड नाट टौलरेट इट ।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : मैं महाराष्ट्र पुलिस को बाल ठाकरे का एजेंट मानता हूं । ... (व्यवधान)... पार्लियामेंट में महाराष्ट्र की पुलिस को बाल ठाकरे का एजेंट मानता हूं इसलिये कि मेरे पास सबूत है इसके ।

कुमारी सरोज खापर्डे : आपके पास सबूत है यह कहना आपका ठीक नहीं है ।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : 80-80 अफसरान बाल ठाकरे के साथ मिलकर वहां मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे थे । जो कमेटी बनी है, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है मोहतरमा, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिये । मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस बाल ठाकरे ने हकबाली, हकरायी मुजस्सिम बनकर कहा कि मैंने जलाया बंबई को, मैंने फूंका मुसलमानों को । मैं पूछता हूं कि उस फिरकापरस्त पर पाबंदी न लगाना, इसको मैं क्या कहूं ? कौमी एकजहदगी कहूं ? इन पर पाबंदी लगी, आर० एस० एस० वालों पर । क्यों हटाई गई पाबंदी ? फिरकापरस्तों पर जब पाबंदी लगी तो लगनी चाहिये । मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर आप फिरकापरस्ती के खिलाफ है तो उन फिरकापरस्तों के ऊपर पाबंदी लगाइये जिनको आप फिरकापरस्त मानते हैं । अगर सच्ची बात कहना बुरी बात है तो खुदा मुझे इसकी तौफीक दे कि मैं जिंदगी भर यह बुरा काम करता रहूं, सच्ची बात कहता रहूं ताकि देश को रोशनी मिल सके, मेरे जमीर को रोशनी मिल सके । शुक्रिया ।

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی "اتر پردیش"
شکریہ جناب۔ اس وقت ہاؤس میں شری
الہ دو الیہ جی کے پرائیویٹ ممبر بل پر جس کا
عنوان ہے "فرقہ پرست سیاسی پارٹیوں پر

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

ممبر بل کی حیثیت سے اہلو والیہ جی کی طرف سے آیا ہے اور ایک بل گورنمنٹ آف انڈیا کا "مذہب اور سیاست کو الگ الگ کرنے کے لئے" آرہا ہے۔

تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرقہ پرستی کیا ہے۔ فرقہ پرستی کے لئے بہت سنجیدگی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے سوارتھ کو حاصل کرنے کیلئے کسی دوسرے کو فرقہ پرست کہنا یہ بذات خود فرقہ پرستی ہے۔ فرقہ پرستی کے میننگ کو آپ طے کیجئے۔ فرقہ پرستی کی تعریف کیا ہے اس پر ایمانداری کے ساتھ چرچہ ہونی چاہیئے ہم اگر اپنی اپنی پارٹی کا ویو سامنے رکھ کر ہاؤس میں سبھی اس طرح کی کوئی بات کرینگے تو یہ بذات خود ایک فرقہ پرستی ہوگی۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی دھرتی پر بسنے والے لوگ ہندوستانی ہیں ان ہندوستانیوں میں کچھ مسلمان ہیں۔ کچھ ہندو ہیں۔ کچھ سکھ ہیں۔ کچھ بودھ ہیں۔ کچھ جین ہیں۔ اور اسی طرح سے کچھ پارسی ہیں۔ کچھ عیسائی ہیں۔ مختلف مذاہب کو ہندوستانیوں نے تسلیم کیا تو یہ مذاہب کے لئے تسلیم کئے گئے ہیں۔ کیا فرقہ پرستی کو بڑھاوا دینے کے لئے ان مذاہب کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب۔ فرقہ پرستی پر چرچہ کرنے سے پہلے ان مذاہب کی پابندی لگائی جائے" اس پر بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہوئی ہیں اور مارچ کے مہینے سے اب تک اس موضوع پر مارچ ہو رہا ہے یہ موضوع یہ سبجیکٹ یقیناً بہت گمبھیر ہے بہت نازک ہے اور پارلیمنٹ میں اگر منصفانہ طور پر اگر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے دل کے دریچے کھول دیئے جائیں۔ اندھیرے کو مٹانے کے لئے۔ روشنی حاصل کرنے کے لئے۔ دین دھرم جو صحیح معنوں میں فرقہ پرستی کو مٹانے کی چیز ہے اس کو سمجھ کر اس کے پالن کی راہ پر چلنے کے لئے اس پارلیمنٹ میں ہمارا ہر ممبر چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ اس طرح حلف اٹھائے۔ جس طرح سے پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے ملک کی گریما کو بچانے کے لئے آتے ہی اس ہاؤس میں حلف اٹھائی جاتی ہے تو یہ بڑی مناسب بات ہوگی۔

مہودے جس دھرم اور مذہب کے نام پر ہندوستان کے لوگ آج قومی یک جہتی کا نعرہ لگانے کے بجائے جات پات اور فرقہ پرستی کے نعروں میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ یہ کیول قوموں اور مذہبوں پر عمل کرنے والے لوگوں کے لئے نقصان کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اس ملک کی اس پرمپرا اور تہذیب کے لئے بھی نقصان دہ جس کے تحت آج اس ہاؤس میں ایک بل پرائیویٹ

پورو جوں کے خلاف اگر کسی کو اکسایا جاتا ہے تو میں صفائی کے ساتھ پارلیمنٹ میں کہنا چاہتا ہوں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دھرم نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی مذہب اگر کسی بھی مذہب کے بزرگوں۔ پورو جوں کے خلاف نفرت کے جذبات کا اظہار کرنا سکھلاتا ہے اپنے لوگوں کو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مذہب نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا۔

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا
ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا

اس لئے فرقہ پرستی کی طے میں گھس کر اس فرقہ پرستی کو سمجھنا ہوگا۔ فرقہ پرستی کن باتوں کو کہا جاتا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان کے حقوق کے لئے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بابری مسجد ٹوٹی اور توڑنے والوں نے مسلمانوں کے حقوق کو تباہ اور برباد کیا۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ دیں کہ مسلمان کا حق نہیں دیا گیا۔ ۱۹۴۷ء سے لے کر آج تک۔ جتنے بھی اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے یا نان سیکولر جماعتیں ہیں۔ ان تمام لوگوں نے دیش بھر کے مسلمانوں سے ووٹ مانگے اور اس ہاؤس میں آنے کے بعد ان کے مسائل کی وکالت کبھی نہیں کی ان کی تعلیم کے اندر۔ ان کو آگے بڑھانے کے لئے سروسز میں ان کو آگے لے جانے

تاریخ کو سمجھنا ہوگا جن مذاہب کو مان کر لوگ جات پات۔ برادری اور فرقہ پرستی میں اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔

اپ سبھا ادھیکش "شری سید سبط رضی" پیٹھاسین ہوئے۔

اس لئے کہ اونچ نیچ۔ چھوا چھوت یہ سب کہیں نہ کہیں مذہب کا ایک انگ بن گئے ہیں۔ دھرم کی ایک تصویر بن گئی ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا اس لئے لفظ فرقہ پرستی جو ہے یہ بہت اہم ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لئے۔

مذہب کا جہاں تک سوال ہے دھرم اور مذہب کی پربھاشا کی ویاکھیا کر رہے تھے۔ ہمارے محترم دوست۔ ہم جس ویو اور جس نقطۂ نظر سے اس بات کو کہہ رہے تھے وہ نقطۂ نظر یقیناً بڑا خوبصورت اور بہتر تھا۔ مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مذہب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پنتھ گڑبڑ ہے۔ میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ پنتھ بھی گڑبڑ نہیں۔ مذہب بھی گڑبڑ نہیں۔ پنتھ کے نام پر سیاسی فائدہ اٹھانے والے گڑبڑ ہیں۔ کوئی بھی مذہب کیا انسانوں کا سر کاٹنے کی بات سکھلاتا ہے۔ کوئی بھی دھرم کیا مانوتا کا ہنن کرنے کی بات سکھلاتا ہے۔ کوئی بھی مذہب کیا فرقہ پرستی قبول کرنے کی گنجائش کیا اپنے اندر رکھتا ہے کسی بھی دھرم میں

تو اس کا نام بھی فرقہ پرستی رکھ دیا گیا ہے اگر مسجد توڑ دی گئی ہے۔ مسجد کا اسٹرکچر پامال ہوا ہے اس کے خلاف بولا جائے تو اس کا بھی نام فرقہ پرستی رکھا گیا ہے۔ آج اگر مندروں کو توڑا گیا ہے اور اس کے خلاف اگر بولا جائے تو اس کا نام بھی فرقہ پرستی رکھ دیا گیا ہے۔ یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ مسجد توڑنے کا نام بھی فرقہ پرستی اور مسجد جوڑنے کا نام بھی فرقہ پرستی اور حقوق کے مانگنے کا نام بھی فرقہ پرستی ہو گیا ہے۔ ہنن کرنے کا نام بھی فرقہ پرستی۔ آخر میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ لفظ فرقہ پرستی کی ویاکھیا کیا ہوگی۔ لفظ فرقہ پرستی کی تاریخ اور میننگ کیا ہوگی۔ لفظ فرقہ پرستی کی پہچان کیا ہوگی۔ اس لئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ فرقہ پرستی کو۔ فرقہ پرستی یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کا حق مارا گیا ہو ان کے حق میں آواز اٹھانا فرقہ پرستی ہے یہ فرقہ پرستی ہرگز نہیں ہے۔ البتہ جن لوگوں کا حق مانگا جا رہا ہے ان کا حق دلواتے ہوئے دوسری قوموں کے حق کو چھین لینا۔ جس مذہب کو مانا جا رہا ہے اس مذہب کو مانتے ہوئے دوسرے مذہب کے خلاف بولنا یہ ضرور فرقہ پرستی ہو سکتی ہے اس لئے لوگوں کو انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا ہی کے لئے۔ ان کا زیرو ریشن دلانے کے لئے ان کے پرسنٹیج کے بنیاد پر اس ملک میں ان کے جان و مال کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کے وکاس کے ذریعہ بروئے کار لانے کیلئے کسی پارٹی نے کام نہیں کیا۔ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمیں تو اس بات کے لئے کہیں نہ کہیں فرقہ پرست بھی کہا جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے معاملے میں بولتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں جا کر کہا جاتا ہے کہ جب دیکھو جب مسلمان سمپردائے کی بات کہی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دستور ہند نے ہر اس سمپردائے کے اتھان کی بات کو طے کر دیا ہے جو سمپردائے اس ملک میں ایکسپلائیٹیشن کا شکار رہے جو سمپردائے کی جہالت اور غربت کے ماحول سے گزرنے کی بات کرتا ہے اگر اس کے لئے باقاعدہ تیور اور تیور کے ساتھ کوئی بات پارلیمنٹ میں کہی جاتی ہے اور ملک کے کسی حصے میں کہا جاتا ہے۔ ریڈیو اور دوردرشن پر کہا جاتا ہے۔ اخبارات میں بیان دیا جاتا ہے تو اس کا نام فرقہ پرستی نہیں ہے جہالت کی انتہا یہ ہو چکی ہے کہ مزدور اور مجبور بے کس اور مفلوک قوموں کے حقوق کیلئے اگر آواز اٹھائی جائے تو اس کا بھی نام فرقہ پرستی رکھ دیا گیا۔ اگر کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے

کو کوم سے ایسا نہیں ہوا۔ کہ مذہبی فرقہ پرستی کو ہوا ملی ہو ..... "مداخلت" ... میں سیدھی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کل معاملہ فرقہ پرستی کا پنجاب کے ہرمندر صاحب پر ختم ہو جاتا ہے تو اتنے سکڑے ہوئے دل و دماغ سے نہ بولنے کے لئے تیار ہوں نہ اتنے سکڑے ہوئے دل و دماغ سے فرقہ پرستی کو سمجھنے کے لئے تیار ہوں۔ ہرمندر صاحب پر بھی حملہ ہوا۔ کیا میں آپ کو فرقہ پرست کہہ دوں کیا آپ اپنے آپ کو فرقہ پرست کرنے کیلئے تیار ہیں۔ سکھوں کا کعبہ ہے ہرمندر صاحب کیا آپ کے زمانے میں ہرمندر صاحب پر گولیاں نہیں چلیں۔ میں کہہ دوں کہ آپنے فرقہ پرستی پیدا کی۔ میں کہہ دوں کہ آپ نے اس کو توڑا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہرمندر صاحب بھی ٹوٹا اور بابری مسجد بھی ٹوٹی۔ جو لوگ اس کو توڑنے سے خوش ہوتے وہ بھی فرقہ پرست۔ جن لوگوں نے اس کو توڑوایا وہ بھی فرقہ پرست اور کہیں دور مت جائیے۔ یہی مہرولی آئیے ..... "مداخلت" ... جو رتھ لے کر چلا جس نے بابری مسجد پر حملہ کیا ..... "مداخلت" ... میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں کس پارٹی کا آدمی بن کر نہیں بول سکتا۔ آج میں ہندوستان کی حیثیت سے بولوں گا۔ میں جنتا دل کے آدمی کی حیثیت سے بولنا پسند نہیں کرونگا۔ نام قومی یک جہتی اور انسانیت ہے۔ اور انسانیت کو اپنی خود غرضی کے لئے فائدے سے وبنچت رکھنا اور نقصان کی طرف لے جانا اسی کا نام فرقہ پرستی ہے ... "مداخلت" ... نہیں صاحب سنئے۔ بات میں کر رہا ہوں میں ان سب چکروں میں نہیں پڑنے والا ہوں۔ میں اگر یہ کہوں کہ بی۔ جے۔ پی والوں نے مسجد توڑا۔ انہوں نے فرقہ پرستی کیا۔ چلئے ٹھیک ہے۔ مگر مسجد کو بچانے کا وعدہ آپ نے کیا تھا۔ آپ نے بھی وہاں مسجد کو نہیں بچایا۔ تو میں آپ کو بھی فرقہ پرست کہہ دوں۔ اس لئے میں فرقہ پرستی کی بات صرف مسجد کو بچانے اور مسجد کو مٹانے کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتا ... "مداخلت" ... میں کسی کو نہیں بچا رہا ہوں۔ ایمانداری کی بھی بات سنئے۔ ہر وقت پولیٹیکل بات کہہ کر کام نہیں چلے گا۔

اب سبھا ادھیکش "شری سید سبط رضی": مولانا صاحب۔ اختصار سے کام لیں۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: میں دو منٹ لوں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے اس مسئلہ پر سوچئے۔ میری بات سنیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپکی حکومت کے زمانہ میں ایسے نقصانات نہیں ہوتے جن نقصانات کو ایک مذہب کا نقصان قرار دیا جاتے۔ کیا بی۔ جے۔ پی کے

چشتی کی وراثت ہے۔ یہ ملک گاندھی، نانک رام اور کرشن کا ملک ہے۔ ان تمام ترکی بولیوں میں نفرت کی گولیاں نہیں چھپی ہوئی تھیں۔ ان تمام ترکی بولیوں میں قومی یک جہتی کا رس بھرا ہوا تھا۔ جسے پی پی کر لوگ زہر کو نکال کر۔ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ قومی یک جہتی کا سبب بنا کرتے تھے۔ خدا کے لئے آپ لوگ مجھے معاف کریں۔ میں کسی پارٹی کا نمائندہ اور چمچہ بننے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ میں نمائندہ ہوں تو ہندوستان کا ہوں۔ میں نمائندہ ہوں تو ہندوستانی پارلیمنٹ کا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنے الفاظ کے ذریعہ اپنے ملک کے بھائیوں کے سامنے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ فرقہ وارانہ سیاسی لیڈر شپ کا خاتمہ ہونا ضروری ہے آپ لوگ سرائیکہ کی بات کر رہے ہیں۔ بمبئی نہیں یاد آیا آپ کو۔ بمبئی کس طرح پھونکا گیا۔ یاد نہیں ہے آپ کو۔ بمبئی میں دھرم کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوا۔ یاد نہیں ہے آپ کو۔ سورت میں کیا ہوا۔ میں ان کہانیوں کو نہیں دہرانا چاہتا ہم اس لائق نہیں رہ گئے ہیں کہ قومی یک جہتی کی بات کریں۔ کوئی گلے تک ڈوبا ہوا ہے۔ کوئی پیروں تک ڈوبا ہوا ہے فرقہ پرستی میں۔ آج ہندوستان میں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو پارٹی اپنی سیاسی خود غرضی سے اوپر اٹھ کر اس ملک کو

میں کانگریسی اور بی۔ جے۔ پی کا آدمی بن کر بولنا پسند نہیں کروں گا۔ میں ہندوستان کی عزت اور وقار کے لئے بولنا چاہتا ہوں۔ میں ہندوستان کی عزت اور وقار کے لئے بولوں گا۔ آپ کے زمانے میں بھی لوگوں کے حقوق اور رائٹس کا قتل ہوا ہے۔ بی۔ جے۔ پی نے بھی لوگوں کے حقوق اور رائٹس کا قتل کیا ہے۔ آپ انکو فرقہ پرست کہتے۔ وہ آپ کو فرقہ پرست کہیں۔ آپ ان کو اپنے آئینے میں دیکھیں۔ وہ آپ کو اپنے آئینے میں دیکھیں۔ مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو سیدھی بات یہ کہتا ہوں کہ چاہے کانگریس ہو۔ چاہے بی۔ جے۔ پی ہو۔ چاہے جنتا دل ہو چاہے سی۔ پی۔ ایم اور سی۔ پی۔ آئی ہو۔ ہندوستان کے سارے ہندو اور مسلمانوں کیلئے..."مداخلت"... مجھے آخری بات کہنے دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شری اہلووالیہ جی جو بل لائے ہیں اور اس بل میں جو بات کہی گئی ہے وہ بہت اچھی بات ہے۔ یقیناً فرقہ پرست سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگنی چاہیئے ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ یہ ملک صوفیوں کا ملک ہے۔ یہ ملک سادھوؤں کا ملک ہے۔ یہ ملک سنتوں کا ملک ہے۔ اس ملک میں کبیر پیدا ہوئے۔ اس ملک میں بابا نانک پیدا ہوئے۔ یہ ملک معین الدین

یک جہتی پیدا کی تب یہ ملک پیدا ہوا۔ اس لئے آپ لوگ تمام اکٹھا ہو کر بیٹھئے اور فرقہ پرستی کو توبہ کیجئے تاکہ فرقہ وارانہ مزاج کے خلاف اس ملک میں قومی ایکتا کا پیغام دیا جا سکے شو سینا کے لیڈر بال ٹھاکرے ..." مداخلت"...

اُپ سبھا ادھیکش "شری سیّد سبط رضی": بلیز کنکلوڈ ..." مداخلت"...

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: بالکل آخری بات۔ اس کے بعد میں نہیں بولونگا۔ ..." مداخلت"... شو سینا کے لیڈر بال ٹھاکرے بمبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔

سبھا ادھیکش: دس از ناٹ دی پبلک میٹنگ کہ بولنے دیجئے۔

The Chair will decide as to how much time a Member could take. You cannot say like that.

یہاں مشاعرہ ہو رہا ہے یا جن سبھا ہو رہی ہے کہ بولنے دیجئے۔ روک دیجئے۔ پلیز کنکلوڈ۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: میں آپ سے ایک منٹ کی اجازت چاہتا ہوں ..." مداخلت"... میری کوئی مدد نہیں کر رہا ہے۔ میرا خدا میری مدد کیلئے کافی ہے سُنئے۔ بال ٹھاکرے نے بمبئی کو جس طرح سے برباد کیا۔ آپ مانتے ہیں، نہیں مانتے بچانے کا کام کر رہی ہو۔ اس ملک میں قومی یکجہتی کا کام کر رہی ہو..." مداخلت"...

آپ سبھا ادھیکش "شری سیّد سبط رضی": مولانا صاحب آپ اپنی تقریر ختم کریں۔ آپنے کافی وقت لے لیا ہے..." مداخلت"...

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں ..." مداخلت"... میں کب کس پارٹی کی وکالت کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت کہئے جب میں کسی پارٹی کی وکالت کروں۔ میں تو کہتا ہوں کہ سب کے سب فرقہ پرستی کے جہنم کے قریب پہنچ گئے ہیں سب فرقہ پرست ہو چکے ہیں۔ مجھے بتلائیں کہ کون ایسا ہے کہ جو فرقہ پرست نہیں ہے اگر کوئی ایسا کہے کہ میں فرقہ پرست نہیں ہوں تو میں اس کی غلامی کر لوں گا۔ اگر فرقہ پرستی نہیں ہے تو آج ہندوستان اس حالت میں کیسے پہنچا۔ ہاں میں گاندھی جی کو کہوں گا کہ گاندھی جی فرقہ پرست نہیں تھے۔ میں کہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد فرقہ پرست نہیں تھے میں کہوں گا کہ عبدالغفار نہیں تھے فرقہ پرست میں کہوں گا کہ جیندر شیکھر آزاد نہیں تھے فرقہ پرست میں کہوں گا کہ بڑے سے بڑے لیڈران جو مہاتما تھے آزادی کے نہیں تھے فرقہ پرست۔ اگر وہ فرقہ پرست ہوتے تو ہندوستان طرح طرح کی گتھیوں میں اُلجھا رہ جاتا۔ انہوں نے ہندو کی "ہے" اور مُسلم کی "م" کو ملا کر ہم بنایا۔ قومی

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

پوچھتا ہوں کہ اس فرقہ پرست پر پابندی نہ لگانا۔ اس کو میں کیا کہوں۔ قومی یکجہتی کہوں ان پر پابندی لگی۔ آر۔ ایس۔ ایس والوں پر کیوں ہٹائی گئی پابندی۔ فرقہ پرستوں پر جب پابندی لگی تو لگنی چاہیئے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ فرقہ پرستی کیخلاف ہیں تو ان فرقہ پرستوں پر پابندی لگائیے جن کو آپ فرقہ پرست مانتے ہیں۔ اگر سچی بات کہنا بُری بات ہے تو خدا مجھے اس کی توفیق دے کہ میں زندگی بھر یہ بُرا کام کرتا رہوں۔ سچی بات کہتا رہوں تاکہ دیش کو روشنی مل سکے۔ میرے ضمیر کو روشنی مل سکے۔ شکریہ۔

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I fully endorse the views expressed by Dr. Jinendra Kumar Jain that this Bill should not have been brought and that it should be withdrawn because it is already with the Select Committee and a Government is likely to come here some time later which has behind it the same spirit and objective. I will take a few minutes to make some observations and keep reserved certain views on which, perhaps, I may have to speak later. If the current controversy over the relation between religion and politics is generating more heat than light, it is primarily on account of lack of clarity and also on account of lack of agreement on the precise concept of religion and also of politics. It is very important to understand what religion is and what politics is. The stalwarts of the freedom movement like Mahatma Gandhi, Maulana Azad and Sheik Abdullah who laid the basis of freedom and Indian secularism, insisted on drawing inspiration for their politics from religion. That is known to one and all. They had a concept of religion which was different from those who actually formed certain political parties for their religious communities and demanded a separate homeland for themselves. Likewise, politics, as an activity

ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ کیوں ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ بال ٹھاکرے نے جس طرح سے بمبئی کو جلایا۔ جس طرح وہاں کے لوگوں کو شرنارتھی بننے پر مجبور کیا اور جس طرح سے آپکی پولیس شوسینک بن کر وہاں کام کرتی رہی کیا اسے فرقہ پرستی آپ نہیں مانیں گے۔

کماری سورج کھپارڈے۔ بال ٹھاکرے کے ساتھ اگر مہاراشٹر کی پولیس کو کمپیئر کریں گے تو آئی وڈ ناٹ ٹالریٹ اٹ۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: میں مہاراشٹر پولیس کو بال ٹھاکرے کا ایجنٹ مانتا ہوں ... "مداخلت"... پارلیمنٹ میں مہاراشٹر کی پولیس کو بال ٹھاکرے کا ایجنٹ مانتا ہوں اس لئے کہ میرے پاس ثبوت ہیں اس کے۔

کماری سورج کھپارڈے: آپ کے پاس ثبوت ہیں یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: ۸۰۔ ۸۰ افسران وہاں بال ٹھاکرے سے مل کر مسلم دشمنی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ دی ہے۔ محترمہ۔ آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ دیجئے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بال ٹھاکرے نے اقبالی۔ اقراری مجرم بن کر کہا کہ میں نے جلایا بمبئی کو۔ میں نے پھونکا مسلمانوں کو۔ میں

and as a pursuit of power, is also quite different from the urge for identity of various religions and other groups. Those who argue that religion should be nothing more than a matter of faith between man and his Maker, betray an inadequate understanding of what constitutes religion. Apart from the mode of worship, it is also a set of ideas and values. In this particular role, religion is a source of inspiration and moral discipline for many of its adherents. Therefore, it is neither possible nor justifiable to prevent such people from drawing inspiration from religion for it is a great source for their lives, for their living and for their happiness. At no stage did any Muslim show disrespect to them nor did even a most fanatic Hindu challenge the right of the Muslims to build mosques except at the disputed site. This brings us to the idea that religion is that of a social community, the role is that of a social community. It is a vital basis of identity formulation. We have to identify ourselves as an individual, as a group or as a particular community. Even those who do not share it, they also believe it or follow its rituals. Even agnostics or atheists also form part of that community by virtue of their family and social ties. It is this role of religion which poses a problem in politics for most of the religious communities are tending to acquire a socio-political status. But they are not understanding the spirit behind the religion which gives them values and which actually hold those communities together. Development, mobility, media and the information explosion, politicisation and adult franchise are further encouraging a sense of self-awareness among the people. Political and ideological identities have not grown fast enough. Therefore, religion fills this vacuum. Even in a country like the United States, as Mr. Robert Fowler describes and observes, "religion is becoming an answer to continue the yearning for the community and its existence". It provides a sense of certainty and continuity within the larger section of the society and also it does away with the uncertainty and impersonality of an individual so that he mixes with the community which is the basis of life, prosperity and happiness. Further, as the system in India is extremely inadequate to recognise the individual identities and also as a way to seek justice and security, natural to them, many people seek that kind of identity, love and affection through community. This community is as important as entity in politics as an individual. Under these circumstances, no secular system can be built in India by dismissing altogether the reality of communal identities and their claims in economic and social fields.

For instance, Sir, a Cabinet in a State or at the Centre, if it is composed of a single community or a single caste or a single religion, will not be acceptable to others on the plea that these people who constitute the Cabinet either at the State level or at the Central level may be people of merit, but it will not hold good in the eyes of the people. So, the real question is not whether politics should recognise religious identities, but how politics, which is called the art of the possible, can ignore realities. How can it be? But the question that needs to be debated and which has not been debated, unfortunately, is what the legitimate field of these identities is, whether it is religion or politics, and also the degree of their relationship. This has not been discussed or debated. Actually, this should be debated. These realities should be debated—what the relationship is between these two realities, religion and politics, to what degree they are related to each other, what identities are to be related to one another, to other forms of identities and to the national identity as well. Mr. Ahluwalia, who has brought the Bill must know that it is unworkable. Under the circumstances which I have narrated, it is unworkable. The point is that social evils—if at all it is being considered, as is presented through the Bill, as communal and which is being argued hotly here in this House to define it as to what is communal and who is communal—cannot be done away with by legislation, as is clear from the working of laws on dowry, untouchability, etc. The minds and hearts of the people are not conquered that easily. That is the most difficult part. You can pass anylegislation. But the question is whether it can be assimilated by the people in their hearts and minds so that they can follow it. But we the Legislators, we people sitting here and debating, if we pass any Bill because of the majority, because of the numbers, without caring for the conscience of the people, the minds of the people, it will not work. Hence, I reject the Bill. And the hon. Mr. Ahluwalia be well advised to withdraw his Private Member's Bill as it is unconstitutional, undemocratic and highly reckless and mischievous as it cuts across the hearts, the conscience, and the very spirit that binds the lives of the people together.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): Mr. Vice-Chairman, Sir, I had been listening to the hon. Members' views in the last two debates. And it is not only the sentiments of the hon. Members which I certainly share, but I have also toured all over the country, and this subject has become very important today and specially at this crucial juncture when the country is passing through this stage. I think, I had said it a few days back, and my colleagues on that side would bear with me that whatever the reason may be and whosoever is to be blamed, the 6th December, 1992, incident has created a bitter feeling among the whole country which is a very... I do not know how to put in a correct word. But when I go to the villages, when I go to the far-flung places all over the country, I find that the feelings have been hurt. And the foundation of secularism which has been very strong in our country is certainly shaken in some form or the other. Let us accept it. And more you go far away from the faith, the more you really do not reach the reality. And that is why the Government has taken this initiative that we must certainly draw a line up to where the politics should be involved with such activities, and where such activities should be allowed to be involved in political field. And that is why the hon. Prime Minister has very strongly said it and he has repeated it in many public meetings. He knows the danger. We in Government know the danger. The people who represent the people know the danger that we are heading towards where we may not be able to retreat and that will be written in history. And this generation will be blamed for not living up to the sacrifice of that generation which has got us freedom and brought the country to this level. Mahatma Gandhi must not have thought of it. Maulana Abul Kalaam Azad must not have thought of the situation. Pandit Nehru could not have thought about it. There were riots in Calcutta in those days. I have only read in books and saw in movies. I have not seen it physically. And Mahatma Gandhi could never have thought that there could be a repetition of it in this country. And Mahatma Gandhi went all the way to Calcutta and said, "I will not move out of it till such time that this feeling is not removed from that part of the country or from that land of the country." So, we all have to be really more serious about this matter. And I am really happy that a young colleague of mine, Mr. Ahluwalia has brought this as a Private Member's Bill. I heard his sentiments when he was making his opening speech. I have heard from both the sides—and you also must have made out your point, Mr. Vice-Chairman, Sir—that the feeling of the whole nation is certainly that we have to put our foundation of secularism in a very strong manner. I totally share the views of all the Members here who have spoken on the Bill. I found a little bit of a dig here and there as some Members felt that this Bill is slightly going against the rights of the political parties, but majority of the Members of the House, as I heard, want that the secular foundations have to be strengthened, and everybody shares the view that we have to fight the forces which are really shaking up the secularism.

Sir, the Government has already brought a Bill and a Select Committee has been constituted where every party has a representation because it is not one political party which should toe the line. It is not one political party's ideology which should be reflected in the Bill. It has to be an all-party Bill; it should be an all-party thinking; it should be based on a national consensus and we have to see that this Bill comes in a form where our future generations would say, 'Look, there was a bad time in the country but the country woke up; the citizens were awake and they took the right line' and in future, secularism in this country will never be shaken by any act.

At this juncture, I must thank all the Members who have expressed their views and their feelings and shared their experience on this subject. I would request my colleague, Mr. Ahluwalia, to withdraw the Bill because the subject is already under discussion. I would convey all these feelings; we have made a note of it. Some notes I have made and some notes my officers have made sitting in the gallery, and we will pass on these views to the Select Committee so that they can also know the views of the Members on this subject, and before framing the Bill, all these views which have been expressed during the discussion here would be incorporated in the Bill so that the Bill could come as a solid Bill covering all the points which the hon. Members have made. We propose to bring a comprehensive Bill to tackle the problems which the country is facing today so that we can remove the lacunae in the system or the society or the social life, which would help us further. At this moment, I would assure the hon. Member that as the hon. Home Minister has said, by 16th,

the Select Committee would give its recommendations and we plan to bring the Bill in this session itself. I am very hopeful that the Select Committee will complete the work and before the session is over, we should be able to come back to the House after framing the Bill with the suggestions of the Select Committee and based on the suggestions made by the hon. Members here.

I would now request my collegue, Mr. Ahluwalia, to withdraw it with an assurance from me and an assurance from the Government that his views, his prick behind moving this Private Member's Bill and the views of all the hon. Members expressed in the House, would be considered for incorporation in the Bill and I hope Mr. Ahluwalia will take it as a suggestion from me and will withdraw the Bill. Thank You.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने यह सांप्रदायिक राजनैतिक दलों पर पाबन्दी का विधेयक कुछ मजबूर हालतों को देखते हुए इस सदन में पेश किया था । मैंने देखा था कि एक जुनून जो लोगों के दिमागों पर चढ़ रहा है, मजहबी जुनून, उसका इस्तेमाल कभी तो गांवों की जमीनों को कब्जा करने के लिए प्रयोग किया जाता था, पर अभी पिछले कई वर्षों से देखा गया कि सत्ता को हासिल करने के लिए इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया । इस फितरत को देखते हुए मेरे ज़ेहन पर बहुत चोट पहुंची थी और खास करके 6 दिसंबर की घटना को देख कर मैंने अपने आपको कुछ असहाय सा महसूस किया था । उस असहाय अवस्था को देखते हुए मैंने कहा कि एक संसद सदस्य के नाते हमारा जो फर्ज बनता है वह हमें पूरा करना चाहिए । कभी कोई सरकार को, कभी कोए हुए अपने बंधुओं को, भाइयों को और अपने कुलीग्ज़ को जगाने की जरूरत पड़ती है, तो कुछ ऐसे विधेयक लाने पड़ते हैं, जिनका चर्चा इस संसद में जब होता है तो सारे देश में होता है । और यह चर्चा का विषय बना और 12 मार्च से लेकर आज तक करीब 23-24 संसद सदस्य इस विधेयक पर कई घंटों तक बहस कर चुके हैं । महोदय, अखबारों में इस संबंध में एडीटोरियल लिखे गए, आर्टीकल लिखे गए और गांव की चौपालों पर इस की बहस हुई है और लोगों के जेहन में यह बात आई है कि ऐसा कोई बिल लाने की सोच आ रही है । महोदय, मुझे यह कहने में कोई दुविधा नहीं है कि हमारे नॉर्थ ब्लाक में बैठी हुई सरकार और गृह मंत्रालय भी जागा है कि वाकयी ऐसे एक बिल की जरूरत है । महोदय, यह जो सांप्रदायिकता का कोढ़ है, यह हमारे देश की एकता और अखंडता को, हमारे देश की शान्ति और उन्नति को जिस तरह से खाता जा रहा है, जिस तरह से बर्बाद कर रहा है, उसको रोकने के लिए, उस कोढ़ का इलाज करने के लिए कोई-न-कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा और वह रास्ता हमारी सरकार ने निकाला है । महोदय, मैं समझता हूं कि यह हमारे इस सदन की विजय है । इस सदन में विपक्ष के लोगों ने भी अगर कुछ कहा है इस विधेयक के विरोध में तो वह भी एक विजय का हिस्सा है । विधेयक के पक्ष में जिन लोगों ने बात रखी है उन्होंने तो इस विधेयक का झंडा ऊंचा किया ही है, मैं शुक्रगुजार हूं हरेक उस संसद सदस्य का जिन्होंने इस विधेयक की चर्चा में हिस्सा लिया, चाहे वे इसके पक्ष में बोले हो या विपक्ष में और अगर विपक्ष में बोलकर उन्होंने हो सकता है कि हमारे अन्दर रही खामियों को उजागर किया हो तो आनेवाले दिनों में हम उनको सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे और जिन्होंने पक्ष में कहा है उन्होंने मेरे इस तर्क को और मजबूत किया है कि वाकयी ऐसे एक विधेयक की जरूरत है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्र निर्माण का एक विधेयक है, देश में सांप्रदायिकता के जुनून को खत्म करने का विधेयक है, माननीय सदस्यों ने इसके लिए जो साथ दिया है और उसी तरह समाज में जो दूसरी कुरीतियां है या दुर्नीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए और विधेयक हमारे माननीय संसद सदस्य उपस्थित करते हैं या पुरःस्थापित करते है और उन पर चर्चा कर के हम एक सटीक कानून बना सकते है जोकि आनेवाली हमारी पुश्तों के काम आ सकता है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी बाते वहां पहुंचेगी, तो हमारी बाते तो वहां तक पहुंच चुकी है । वह पहुंची है इसी कारण सरकार का विधेयक आ गया है । इसके अलावा हमारी और भी बाते जिन पर कि यहां सदस्यों ने चर्चा की है, वह उनको भी सामने रखें और पहचान बनाएं कि कौन है ये फिरकापरस्त ताकतें ? कौन है ये धार्मिक जुनून लेकर चलनेवाले लोग और आज जिस तरह हम इस देश की धरोहर के रूप में बैठे है, उस इतिहास को वे किस तरह धूल-धूसरित कर देना चाहते हैं और एक ऐसा कलंकित इतिहास हम अपनी आनेवाली पुश्तों के देना चाहते है जिस कलंकित इतिहास को पाकर हमारी आनेवाली पुश्ते रोया करेगी और कहा करेगी कि हमारे पूर्व-पुरुष किस तरह का एक कलंकित इतिहास हमारे हाथ में पकड़ाकर गए । हमारे पूर्व-पुरुषों ने हमें सोने का इतिहास दिया है और हम एक कलंकित इतिहास अपनी आनेवाली पुश्तों को नहीं देना चाहते । हम भी उन्हें एक सुनहरा इतिहास देना चाहते हैं । मान्यवर उसी दिशा में यह विधेयक एक पहल है, कोशिश है ।

आप सभी ने इस संबंध में जो मदद की है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और इसी के साथ मैं मंत्रीजी के आश्वासन पर यह अपना विधेयक वापिस लेता हूं । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Has the hon. Member, Shri Ahluwalia, the leave of the House to withdraw his Bill ?

[The Bill was then, by leave, withdrawn]

विपक्ष के नेता(श्री सिकन्दर बख्त) सर साहब, एक छोटी सी बात और एक ओर ऑनरेबिल मिनिस्टर की खिदमत में

पेश करना चाहता हूं । बात तो यह है कि जिस वक्त आप बोल रहे थे उस वक्त टोकना मैंने ठीक नहीं समझा था कि सेलेक्ट कमेटी क्या करेगी, कब करेगी, उसको प्रीजयूम नहीं करना चाहिए । बात तो इतनी ही थी खाली कि आपकी बातचीत में प्रीजम्पशन ही नहीं होनी चाहिए थी । और, शेर यह है—

हर बुल हवस ने हुस्नपरस्ती सिआर की
अब आबरूए शेवाए एहले नज़र गई ।

शुक्रिया ।

†شری سکندر بخت : صدر صاحب ۔
ایک چھوٹی سی بات اور ایک شعر آنریبل منسٹر
کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بات
تو یہ ہے کہ جس وقت آپ بول رہے تھے ۔
اس وقت ٹوکنا میں نے ٹھیک نہیں سمجھا
تھا کہ سلیکٹ کمیٹی کیا کریگی ۔ کب کرے گی ۔
اس کو پری زیم نہیں کرنا چاہیئے ۔ بات تو
اتنی ہی تھی خیال کہ آپکی بات چیت میں
پری زمپشن ہی نہیں ہونی چاہیئے تھی اور
شعر یہ ہے ۔
ہر بوالہوس نے حسن پرستی شعار کی
اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی
شکریہ

श्री बहमदेव आनन्द पासवान : सर, एक मिनट मुझे दिया जाए ।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी) : किस चीज पर बोलना चाहते है आप ?

श्री बहमदेव आनन्द पासवान : मै इसी पर कुछ शेर बोलना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी) : वह खतम हो गया ।

श्री बहमदेव आनन्द पासवान : कृपा कर दीजिए । ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी) : नहीं, नहीं । आप बैठिए । यह मुशायरा नहीं है । ....(**व्यवधान**)..

I am not permitting you. Yes, Mr. V. Narayanasamy.

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 1991.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Sir, I move :

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, be taken into consideration."

Sir, in this Bill, in clause 2 I seek the following relief from the hon. Minister :

That in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, in paragraph 3, the following proviso may be added at the end, namely :

"Provided that a member of the Scheduled Caste belonging to the Hindu or Sikh religion, on conversion to any other religion including Christianity as well as his wife and children, shall continue to receive all the benefits which they were entitled to as members of the Scheduled Caste before such conversion".

Sir, I was prompted to bring forward this Bill before this House for obvious reasons. When Janata Dal Government was there, the hon. Minister, Shri Ram Vilas Paswan, moved an amending Bill for inclusion of Neo Buddhists into a category of persons who would be entitled to the benefits of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes because according to the then Government orders the Neo-Buddhists converted from the Scheduled Caste were not given the benefits of the Scheduled Castes. When that Bill was being considered, I moved an amendment in this august House, stating that the converted Christians may be included in the Scheduled Caste category and they should also be kept on par with the people like the Sikhs and the Neo Buddhists. At that moment, Shri Paswan gave an assurance on the floor of this House, stating that the Government was going to bring forward an amendment relating to the converted Christians also. Therefore, he requested me to withdraw the amendment. Keeping in view the assurance of the hon. Minister I withdrew the amendment that was moved by me.

† [ ] Transliteration in Arabic Script.